न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकान्त कटारा , आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 11/2019 2019/00232

1. बाबूलाल शर्मा पुत्र स्व. श्री भंवरलाल शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी मंदिर वाली ढाणी, ग्राम अखैपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

— — — अपीलान्ट्

बनाम

1. चांदबाबू उर्फ छुटन पुत्र स्व. श्री भंवरलाल शर्मा जाति ब्राह्मण, निवासी प्लाट नम्बर 140, ग्रीन पार्क, दादी का फाटक, झोटवाड़ा, जयपुर।
2. मोहनलाल शर्मा पुत्र स्व. श्री भंवरलाल शर्मा, निवासी मंदिर वाली ढाणी, ग्राम अखैपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. जितेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल, निवासी मंदिर वाली ढाणी, ग्राम अखैपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. ग्राम पंचायत अखैपुरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अखैपुरा, पंचायत समिति आमेर, जिला जयपुर।

— — — रेस्पोडेन्ट्स

5. सोहनलाल पुत्र स्व. श्री भंवरलाल, निवासी मंदिर वाली ढाणी, ग्राम अखैपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. श्रीमती कृष्णा पुत्री स्व. श्री भंवरलाल धर्मपत्नी रामशरण शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी कुम्हारों की ढाणी, ग्राम बैनाड, तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. श्रीमती गीता पुत्री स्व. श्री भंवरलाल धर्मपत्नी गोपाल शर्मा जाति ब्राह्मण, निवासी कुम्हारों की ढाणी, ग्राम बैनाड, तहसील आमेर जिला जयपुर।
8. श्रीमती निर्मला उर्फ कमला पुत्री स्व. श्री भंवरलाल धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री टोडरमल शर्मा, निवासी प्लाट नम्बर 105, आसींद नगर, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।
9. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

— — प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956 विरूद्ध नामान्तकरण सं0 290 दिनांक 15.07.19 द्वारा ग्राम पंचायत अखैपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर

निर्णय दिनांक 16.12.2019

प्रकरण के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार है कि यह कि ग्राम अखैपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 48 रकबा 0.70 हैक्टेयर, 49 रकबा 0.21 हैक्टेयर, 50 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 51 रकबा 0.68 हैक्टेयर, 52 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 53 रकबा 0.19 हैक्टेयर, 54 रकबा 0.66 हैक्टेयर, 55 रकबा 0.19 हैक्टेयर, 56 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 57 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 58 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 64 रकबा 0.13 हैक्टेयर एवं 67 रकबा 0.21 हैक्टेयर कुल किता 13 कुल रकबा 3.4184 हैक्टेयर भूमि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट 1 व 2 तथा 5 लगयत 8 के पिता स्व. श्री भंवरलाल पुत्र बद्रीनारायण की स्वअर्जित सम्पति है, जिन्होने अपने जीवनकाल में दिनांक 2 मार्च 2001 को रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्तियों में निहित उत्तराधिकारी अधिकारों से वंचित कर दिया था जिसकी वजह से रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को उपरोक्त वर्णित भूमियों में कोई अधिकार कभी प्राप्त नहीं हो सकता है किन्तु फिर भी रेस्पोडेंट संख्या 3 के साथ षड्यंत्र कर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने स्व. श्रीमती सुशीला देवी धर्मपत्नी भंवरलाल के 1/16 हिस्से की उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का नामान्तरकरण अवैध व गोपनीय तरीके से अपने नाम अंकित करवा लिया जो निरस्त करने योग्य है। यह कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने स्व. श्री भंवरलाल एवं उनकी धर्मपत्नी स्व. श्रीमती सुशीला देवी को उनके जीवनकाल में अत्यधिक कष्ट एवं संताप दिये थे जिनकी वजह से अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंटस के पिता स्व. श्री भंवरलाल जी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को अपने समस्त उत्तराधिकारी अधिकारों से वंचित कर उन्हे अपने जीवन से निष्कासित कर दिया था उल्लेखनीय है कि स्व. श्री भंवरलाल शर्मा द्वारा की गयी उक्त कार्यवाही को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 तथा समस्त परिवार व समाज ने स्वीकार कर लिया और इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का स्व. श्री भंवरलाल जी के परिवार से कोई सम्बन्घ एंव सरोकार नहीं रहा किन्तु फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 से साजिश कर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 290 स्व. श्रीमति सुशीला देवी की विरासत का अपने नाम अंकित करवा लिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि के खातेदार स्व. श्री भंवरलाल जी अपने जीवनकाल में दिंनाक 23–4–2004 को ना सिर्फ उपरोक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त अपितु अन्य

समस्त चल व अचल सम्पत्तियों यथा आवासीय मकानात, कुए–बोरिंग तथा मन्दिर में सेवा–पूजा के अधिकारो आदि तक को उक्त लिखित वसियत के द्वारा निर्धारित कर गये थे उल्लेखनीय है कि उक्त वसियत को भी आदिंनाक तक स्व. श्री भंवरलाल जी के किसी भी वारीस ने कोई चुनौती नहीं दी है तथा वसियत अन्तिम होकर समस्त सम्पत्तियों का विभाजन एंव अधिकारो का निर्धारण उक्त वसियत के अनुसार हो चुका है लेकिन फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने गोपनीय तरीके से एक आवेदन/शपथ पत्र दिंनाक 12–6–2019 एंव ग्राम पंचायत अखेपुरा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के आवेदन पर जारी किये गये वारिसनामा के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 290 के द्वारा स्व. श्रीमति सुशीला देवी के 1/16 हिस्से की खातेदारी को अपने नाम अंकित करवा लिया जो कतई अवैध एंव विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि स्व. श्री भंवरलाल जी ने अपने द्वारा निष्पादित वसीयत दिंनाक 23–4–2004 में भी अपने पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को अपनी सम्पत्तियों से बेदखल करने तथा उनसे अपने सम्बंध को विच्छेद कर उन्हे अपने उत्तराधिकारी अधिकारो से वंचित करने का उल्लेख किया है जिसकी रेस्पोडेन्टस को प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी है किन्तु फिर भी एक्त समस्त तथ्यों को छिपाते हुए तथा असत्य शपथपत्र प्रस्तुत कर बदनीयतिपूर्वक अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 290 स्वीकृत करवा लिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि वसीयत दिनांक 23–4–2004 द्वारा स्व0 भंवरलाल जी ने उपरोक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त के 1/4 हिस्से को संयुक्त रूप से अपनी पत्नि एंव पुत्रीयों को प्रदान किया था जिनमें से अपीलार्थी एंव रंस्पोडेन्टस की माता श्रीमति सुशीला देवी का देहान्त हो जाने के पश्चात उनकी विरासत हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतका के सभी पुत्र एंव पुत्रियों को प्राप्त होनी चाहीये लेकिन जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को सम्पत्ति के पूर्व स्वामी स्व. भंवरलाल जी ने ही उन्हे अपने उत्तराधिकारी अधिकारो से वंचित कर दिया था तो उनकी धर्मपत्नि अर्थात स्व. श्रीमति सुशीला देवी का उत्तराधिकारी अधिकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को किसी भी विधि के तहत प्रदान नहीं किया जा सकता है ओर इसलिये अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 290 निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अपीलाधीन नामान्तरणकरण संख्या 290 तस्दीक करने से पूर्व स्व0 श्री भंवरलाल के समस्त विधिक उत्तराधिकारी अपीलार्थी एवं प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट्स को पक्ष समर्थन एंव सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया ना ही भूमि वादग्रस्त के भौतिक एवं वास्तविक कब्जे काश्त के सम्बंध में मौके पर किसी प्रकार की कोई जॉच ही की गयी जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 एंव सरपंच ग्राम पंचायत को स्व0 श्री भंवरलाल जी

द्वारा रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 व 2 को अपने उत्तराधिकारी अधिकारो से वंचित करने एंव अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति से बेदखल किये जाने के सम्बंध में की गई समस्त कार्यवाहीयों की प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी थी किन्तु फिर भी अत्यन्त गोपनीय तरीके से कार्यवाही करते हुए सरासर अवैध एंव विधि विरूद्ध नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि स्व0 श्रीमति सुशीला देवी ने भी अपने स्वर्गीय पति की इच्छा का अनुसरण करते हुए रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 व 2 से अपने सम्बंध विच्छेद कर समस्त रिश्ते–नाते तोड रखे थे, तथापि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने आपस में साजिश कर श्रीमति सुशीला देवी की विरासत का नामान्तकरण गोपनीय तरीके से अपीलान्ट एंव प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट् को पक्ष समर्थन एंव सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही स्वीकृत करवा लिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 290 की अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी हाल ही में उपरोक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त के 1/4 हिस्से के खातेदार रेस्पोडेन्ट् संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत विभाजन का नोटिस माननीय न्यायालय से प्राप्त होने पर अपीलार्थी दिनांक 27–8–2019 को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर वाद एंव आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रति प्राप्त होने पर अधिवक्ता महोदय द्वारा बताये जाने पर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 290 की जानकारी हुई तो पटवारी हलका से सम्पर्क कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 290 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया, जिस पर दिनांक 29–8–2019 को अपीलाधीन नामान्तरणकरण की नकल प्राप्त हुई। चूंकि अपीलाधीन नामान्तरणकरण अपीलान्ट को पक्ष समर्थन एंव सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही स्वीकृत किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलान्ट जानकारी के दिन से अन्दर मयाद यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।यह कि यद्यपि अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के विपरीत प्रारम्भ से ही अवैघ एवं शून्य है एवं ऐसे अवैघ एवं एक पक्षीय आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु मयाद लागू नहीं होती है और अपील अपीलान्ट जानकारी के दिन से नियमानुसार अन्दर मियाद प्रस्तुत कर रहा है तथापि विधिक बाध्यता के अनुसरण में भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत पृथक से आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है यह कि अन्य आपत्तियॉ बहस के समय पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् और प्रस्तुत की जावेंगी।

अतः अपील प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन नामान्तरणकरण संख्या 290 दिनांक 15–7–2019 निरस्त फरमाया जावें तथा भूमि वादग्रस्त के अभिलिखित

खातेदारो के मध्य स्व0 श्री भंवरलाल जी कि अन्तिम ईच्छा एंव पूर्व में की गयी व्यवस्था के अनुसार स्व. श्रीमति सुशीला शर्मा के 1/16 हिस्से की विरासत का नामान्तरकरण मात्र अपीलान्ट एंव प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 8 के नाम स्वीकृत किये जाने का आदेश प्रदान किये जावें। अपीलान्ट ने मय दस्तावेजात सूची अनुसार वसीयतनामा व आम सूचना दैनिक समाचार पत्र की प्रति पेश की है।

अपील अपीलान्ट् दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलवी की गयी। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2, 3, 5, 8 की ओर से एडवोकेट एस.जे.गिरि ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 24.10.19 को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 08 का नोटिस तामिल होकर प्राप्त। दिनांक 19.11.19 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 4, 6, 7 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। मूल नामान्तकरण प्राप्त हुआ।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 5, 8 ने दिनांक 09.12.19 को जवाब धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 का पेश कर प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि नामान्तकरण संख्या 290 की पूर्ण जानकारी थी तथा मिन अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा भी बता दिया था लेकिन जानबूझकर सह काश्तकारों नहीं हो परिवार में हमेशा विवाद बना रहे दुरभावना पूर्व अपील प्रस्तुत की है। इसलिए अपील मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

रेस्पोडेन्ट् संख्या 2, 3, 5, 8 ने कानूनी नजीर पेश कर ग्राम अखैपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित विवादग्रस्त आराजी कुल किता 13 कुल रकबा 03.41 हैक्ट0 प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 5 लगायत 8 के पिता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के दादा स्व0 श्री भंवरलाल की स्वअर्जित संपति थी। अपनी संपति की दिनांक 20.03.2004 को रजिस्टर्ड वसीयत होने तथा मृत्यु दिनांक 23.4.10 को होने पर वसीयत के आधार पर नामान्तकरण सं0 114 दिनांक 29.10.10 तस्दीक होने से वसीयत में अपना हिस्सा अपनी पत्नी स्व. सुशीला देवी को 1/16 हिस्सा दिया था उसका नामान्तकरण खातेदारी का दिनांक 29.10.10 को प्राप्त हो चुका था। सुशीला देवी की मृत्यु र्निवसीयत होने पर फौती नामान्तकरण उसके उत्तराधिकारी को नामान्तकरण सं0 290 दिनांक 15.7.19 ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया उससे अपीलान्ट व्यथित होकर अपील प्रस्तुत किया गया है। जबकि अन्य सभी वारिसों को कोई आपत्ति नहीं है। अपील खारिज योग्य है।

रेस्पोडेन्ट् संख्या 2, 3, 5, 8 की ओर से न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये जिनका सहसम्मान अवलोकन किया।

1. RRT 2014 (1) S.C. page 154
2. DNJ 2010 (S.C.) page 294
3. DNJ 2014 (3) raj (H.C.) page 1132
4. RRT 2017 (1) (S.C.) page 45
5. CJ (Civ) S.C. 2016 (1) page 296
6. CJ (Civ) Raj 2019 (3) H.C. page 1839
7. RRT 2002 (1) page 567
8. RRT 2009 (1) page 376
9. C.J. (Civ) 1916 (1) page 347

वकील अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये जिनका सहसम्मान अवलोकन किया।

1. Delay Should be condoned, Liberal View regarding limitation :-
   2006 R.B.J. 198
   2005 R.B.J. 502
   2004 R.B.J. 286
   2002 R.B.T. 648 (H.C.)
   2011 R.B.T. (2) 1040
2. Order Passed without notice can be set-aside at any time :
   2006 R.B.J. 1, 127
3. Limitation starts from date of knowledge :
   1197 R.R.D. 184, 276
   1994 R.R.D. 77
   1192 R.R.D. 334 (H.N.B)
4. Condonation fo delay where a Meritorious case :
   2012 R.L.W. (1) 63
   2002 R.R.T. (1) 648 H.C.
   2006 R.B.J. 796 H.C.
   1997 R.R.D. 511
   1996 R.R.D. 425, 435
5. Mutation Proceedings without notice are illegal :
   1972 R.R.D. 173
   1972 R.R.D. 598
   1990 R.R.D. 644

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी एव प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम व उसके जवाब का अवलोकन एवं मनन करने पर प्रार्थना पत्र धारा 5 स्वीकार किये जाना उचित समझते है। मूल अपील में वर्णित तथ्यों, संलग्न दस्तावेजात, रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र जवाब के मुताबिक हमने पाया कि अपीलाट को अपील में वर्णित नामान्तकरण से संबंधित भूमि अपीलान्ट् को हिस्सेदारी के रूप में वसीयत से प्राप्त हुई थी। जिसमें वसीयत व लोकसूचना के द्वारा रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 व 02 को उक्त भूमि से बेदखल किया गया था। इसके पश्चात उक्त विवादित भूमि में हुए विरासत के अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं ना ही इस सम्बन्ध में कोई जांच की गयी। अतः अपील अपीलान्ट् न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण सं0 290 दिनांक 15.07.2019 ग्राम पंचायत अखैपुरा तहसील आमेर को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर को प्रकरण प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्वत् एवं गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

आदेश आज **दिनांक 16.12.2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त कटारा)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant
Katara
Date: 2020.01.20 13:35:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: